



UPMP010026072026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी
पीठासीन अधिकारी- (Rupesh Ranjan), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02022

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 893/2026

शिवम सिंह चौहान पुत्र सूरज प्रताप सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी मोहल्ला ग्रासीगंज थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज।

---प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

---विपक्षी/वादी

आदेश

1-प्रार्थी/अभियुक्त शिवम सिंह चौहान की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. मुकदमा अपराध संख्या- 10/2026 अन्तर्गत धारा- 318(4), 317(2), 61(2), 112(2) बी०एन०एस० व 66D आई.टी एक्ट थाना- साइबर क्राइम जिला मैनपुरी में द्वितीय अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- दौरान सुनवाई विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र के हासिए पर " प्रार्थना-पत्र पर बल नहीं देने का पृष्ठांकन किया गया है। " चूंकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त शिवम सिंह चौहान की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 10/2026 अन्तर्गत धारा- 318(4),317(2),61(2),112(2) बी०एन०एस० व 66D आई.टी एक्ट थाना- साइबर क्राइम जिला मैनपुरी में योजित द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

(रूपेश रंजन)

दिनांक:20-06-2026

जिला एवम सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी।